



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1221]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2015/ज्येष्ठ 21, 1937

No. 1221]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2015/JYAISTHA 21, 1937

कृषि मंत्रालय  
(कृषि और सहकारिता विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 11 जून, 2015

का.आ. 1556 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार की है, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	राज्य
1.	2	3	4
1.	मक्का	प्रताप संकर मक्का - 3	राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
2.	मक्का	सी. पी. 333 संकर	राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
3.	चावल	पूसा 1592 (आई ई टी 22289)	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू - कश्मीर
4.	उर्द	एम डी यू - 1 (ए सी एम 07002)	तमिलनाडू
5.	मक्का संकर	आर एम एच - 4558 (पी आर ओ - 379)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू
6.	चावल	टी पी एस - 5	तमिलनाडू
7.	गन्ना	सी ओ ओ आर - 04152 (रघुनाथ)	ओडिशा
8.	गन्ना	सी ओ ओ आर - 05346 (नीलचक्र)	ओडिशा

[सं. 3-44/2015-एस. डी. IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
(Department of Agriculture and Co-operation)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2015

**S.O. 1556 (E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties to be sold for purposes of agriculture for the States mentioned in column (4) of the said Table and shall be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

**TABLE**

Serial number	Kind	Variety	States
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Maize	Pratap Hybrid Maize-3	Rajasthan, Gujarat, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.
2.	Maize	CP333 Hybrid	Rajasthan, Gujarat, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.
3.	Rice	Pusa 1592 (IET 22289)	Punjab, Haryana, Delhi and Jammu and Kashmir.
4.	Black gram	MDU 1 (ACM 07002)	Tamil Nadu.
5.	Maize hybrid	RMH-4558 (PRO-379)	Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu.
6.	Rice	TPS-5	Tamil Nadu.
7.	Sugarcane	CoOr 04152 (Raghunath)	Odisha.
8.	Sugarcane	CoOr 05346 (Neelchakra)	Odisha.

[No. 3-44/2015-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.